दिनांक 17.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

बगैर लायसेंस के व्यवसाय करने वालों पर उड़नदस्ता टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के उड़नदस्ता टीम ने शहर के कोहका मार्केट के 16 दुकानों में जांचकर बगैर लायसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर 22700 रुपये का अर्थदण्ड वसूला। कार्यवाही आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर लगातार किया जा रहा है। निगम की उड़नदस्ता की टीम ने शहर में लगातार ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तथा मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सड़े-गले खाद्य पदार्थ , प्रतिबंधित पालिथीन झिल्ली, पन्नी का विक्रय एवं भण्डारण, एक्सपायरी डेट के खाद्य एवं पेय पदार्थ पर कार्यवाही कर रही है। निगम की उड़नदस्ता की टीम ने आज कोहका मार्केट क्षेत्र के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें कमल कबाड़ी द्वारा अपना बिना लायसेंस व्यवसाय कर रहा था जिससे 7000 रुपये दण्ड स्वरुप वसूल की गई । इसी प्रकार कमल बूट हाउस , वर्मा चिकन, टीकम जनरल, कृष्णा, राज होटल, गायत्री मेडिकल, सोनू लेडिस कार्नर , मां अम्बे ट्रेडर्स , शकुनतला साड़ी, कान्ती, शिव बेकरी, लक्ष्मी मेडिकल एवं सहेली ज्वेलर्स पर कार्यवाही की गई इस तरह कुल 16 दुकानों का निरीक्षण कर 22700 रुपये अर्थदण्ड वसूले एवं टीम के सदस्यों ने दुकानदारों को जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा गोमास्ता एवं अनुज्ञप्ति लायसेंस के लिए शिविर लगा रही है जहां उपस्थित होकर आप अपने व्यवसाय के स्वरुप का लायसेंस बनवा सकते हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''